न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 29/2022/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 8.3.2022
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

(1) श्रीमती कंवर बाई पत्नी स्व0 हुकम सिंह जाति राजपूत निवासी गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

...अपीलार्थी

बनाम

1. जगदीश आत्मज धन्नालाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डील जिला कोटा।
2. श्रीमती अनोख बाई पत्नी मांगीलाल जाति मेघवाल नि0 ग्राम गोयन्दा तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा।
3. श्रीमती गंगा बाई पत्नी श्यामलाल जाति मेघवाल नि0 गोयन्दा तहसील रामगजमण्डी जिला कोटा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक –अपीलार्थी
श्री रामबाबू मालव अभिभाषक –रेस्पो0 क्रम 1 लगा0 3
पैरोकार सरकार–रेस्पो0 क्रम–4

(2) प्रकरण संख्याः 30/2022/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 8.3.2022
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

श्रीमती कंवर बाई पत्नी स्व0 हुकम सिंह जाति राजपूत निवासी गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार–रेस्पो0 क्रम–4

::निर्णय::

दिनांक 9.5.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 6/2013 बउनवान जगदीश बनाम श्रीमती कंवर बाई वगेरा एंव प्रकरण सं0 87/2016 बउनवान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी बनाम श्रीमती कंवर बाई (प्रार्थना पत्र–आवंटन निरस्तीकरण) मे पारित निर्णय

अति. सं. आयुक्त
कोटा

दिनांक 7.12.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 उपरोक्त दोनो प्रार्थना पत्र के निर्णय एक ही आवंटी को एक ही भूमि के आवंटन दिनांक 2.12.2010 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किये गये जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही निर्णय दि0 7.12.2021 से निर्णित किया है जिसके विरूद्ध अपीलार्थीया द्वारा कन्यायालय हाजा मे पृथक पृथक अपीले पेश की गई है जिसमे एक समान विषय वस्तु एंव समान पक्षकार होने से एक ही निर्णय से निर्णित किया जा रहा है।

2 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गोयन्दा तह0 रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 412 की 0.40 है0 कृषि भूमि को दिनांक 2.12.2010 को अपीलांट के पक्ष मे किये गये आवंटन निरस्तीकरण हेतु रेस्पो0 कम 1 लगायत 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर जाहिर किया कि उक्त भूमि सेटलेमट से पूर्व उसके खाते मे थी एंव सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों ने गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि कंवरी बाई को आवंटन कर गैरखातेदारी मे दर्ज करने का आदेश प्रदान कर दिया। आवंटित भूमि पर कंवरी बाई का कब्जा काश्त नही है ना ही आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किसी प्रकार का दखल दिया गया है। इसी प्रकार तहसीलदार रामगंजमण्डी ने प्रार्थना पत्र प्रकरण सं0 87/2016 प्रस्तुत कर उक्त भूमि आवंटी की गैरखतेदारी मे दर्ज होना किन्तु आवंटी का कब्जा काश्त नही होने से आवंटन शर्तो की अवहेलना होने से आवंटन नियम 14 (4) के तहत निरस्त करने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो प्रार्थना पत्र आवंटी के आवंटन भूमि से संबधित होने से एक ही निर्णय दिनांक 7.12.2021 से निर्णित करते हुये बिना मौके की जांच कराये स्वीकार योग्य नही होने से दोनो ही प्रकरण तहसीलदार रामगंजमण्डी को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिये गये कि प्रकरण मे आवंटी को आवंटन पश्चात भूमि सुपुर्द कराई अथवा नही ? चूंकि आवंटन पत्रावली मे सुपुर्दगीनामा नही है आवंटी द्वारा कब्जा काश्त की जा रही है अथवा नही आदि बिन्दूओं की रेकार्ड एंव मौका स्थिति की जांच कराई जाकर मौका स्थिति अनुसार कार्यवाही सुनिशिचित करें।

3 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि उपरोक्त आराजी बावत रेस्पो0 कम 1 लगायत 3 ने उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के न्यायालय मे घोषणा एंव दुरूस्ती इन्द्राज हेतु राजस्व वाद प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। उपरोक्त परिस्थितियों मे रेस्पो0 कम–1 लगायत 3 द्वारा नियम 14 (4) राज0 भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने के उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र निर्णित कर प्रकरण प्रतिप्रेषित करने मे त्रुटि की है। इस तथ्य पर गौर नही किया कि अपीलांट को भूमि का सही रूप से नियमानुसार आवंटन किया गया है। भूमि के आवंटन को निरस्त किये जाने का कोई आधार, कारण एंव प्रमाण पत्रावली पर मौजूद नही है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटा को तहसीलदार रामगंजमण्डी को प्रकरण प्रतिप्रेषित करने की अधिकारिता एंव शक्तियां प्राप्त नही है। अधीनस्थ न्यायालय को परीक्षण न्यायालय होने से स्वयं को पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर प्रार्थना पत्र 14 (4) खारिज करना चाहिये था। विकल्प मे यदि पत्रावली मे दखलनामा मौजूद नही है तो उस स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को आवंटित भूमि पर दखल देने व कब्जा देने का आदेश पारित करना चाहिये था। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आदेश की तारीफ मे नही आने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपील पेश करने मे हुई देरी क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य मानते हुये अपील स्वीकार कर जेरअपील आदेश निरस्त करने की इस्तदुआ की गई।

4 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार तथा पैरोकार सरकार सुनी गई।

5 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अपीलांट को किया गया भूमि का आवंटन नियमानुसार है। आवंटन को निरस्त किये जाने का कोई आधार पत्रावली

अति. सं. आयुक्त
कोटा

पर मौजूद नही है। जिला कलक्टर कोटा को तहसीलदार रामगंजमण्डी को प्रकरण प्रतिप्रेषित करने की अधिकारिता एंव शक्तियां प्राप्त नही है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय परीक्षण न्यायालय होने से स्वयं को पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर प्रार्थना पत्र 14 (4) खारिज करना चाहिये था। बहस मे आगे प्रकट किया कि उपरोक्त आराजी बावत रेस्पो0 कम 1 लगायत 3 ने उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के न्यायालय मे घोषणा एंव दुरूस्ती इन्द्राज हेतु राजस्व वाद प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। उपरोक्त परिस्थितियों मे रेस्पो0 कम–1 लगायत 3 द्वारा नियम 14 (4) राज0 भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने के उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र निर्णित कर प्रकरण प्रतिप्रेषित करने मे त्रुटि की है। अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी 1988 पेज 320आरआरडी 1989 पेज 34 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार करने तथा जेरअपील आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया।

6 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 कम 1 लगायत 3 ने अपनी बहस मे जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि सेटलेमट से पूर्व उसके खाते मे थी एंव सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों ने गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दी। तथा उक्त भूमि का कंवरी बाई को आवंटन कर गैरखातेदारी मे दर्ज करने आदेश प्रदान कर दिये। आवंटित भूमि पर कंवरी बाई का कब्जा काश्त नही है ना ही आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किसी प्रकार का दखल दिया गया है। ऐसी सिथति मे आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

7 पैरोकार सरकार रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना जाहिर किया।

8 पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। डिले कन्डोन हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एंव प्रार्थना पत्र के समर्थन मे अपीलांट द्वारा स्वंय का शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया है तथा ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया है ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई न्यायोचित आधार, अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा सहल न्याय के दृष्टिगत न्यायहित मे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

9 हमने पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर विचार कर आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन कर प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों पर गौर किया। अपीलाटा को दिनांक 2.12.2010 ग्राम गोयन्दा की ख0 नं0 412 की रकबा 0.40 है0 भूमि का आवंटन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने जेरअपील निर्णय मे आवंटित भूमि पर अपीलाटा को आवंटन पश्चात कब्जा सुपुर्द भी कराया अथवा नही ? तथा मौके पर कब्जा काश्त किसके द्वारा की जा रही है आदि बिन्दुओ की जांच कराई जाकर मौका रिपोर्ट एंव काश्त अनुसार ही कार्यवाही की जाना उचित मानते हुये जगदीश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सं0 6/2013 उनवान जगदीश बनाम कंवर बाई वगे0 एंव तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रसतुत प्रार्थना पत्र सं0 87/2016 सरकार बनाम कंवर बाई बिना मौके की जांच कराए स्वीकार योग्य नही होने से दौनो ही प्रकरण तहसीलदार रामगंजमण्डी को प्रकरण मे आवंटी को आवंटन पश्चात भूमि सुपुर्द कराई अथवा नही ? आवंटन पत्रावली मे सुपुर्दगीनामा नही होना वर्णित करते हुये आवंटी द्वारा कब्जा काश्त की जा रही है अथवा नही आदि बिन्दुओ की रेकार्ड एंव मौका स्थिति की जांच कराई जाकर मौका स्थिति अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है। प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि अपीलाटा को भूमि का आवंटन नियमानुसार किया गया है जिला कलक्टर कोटा को तहसीलदार रामगंजमण्डी को प्रकरण प्रतिप्रेषित करने की अधिकारिता एंव शक्तियां प्राप्त नही है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय परीक्षण न्यायालय होने से स्वयं को पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर प्रार्थना पत्र 14 (4) खारिज करना चाहिये था। दुसरा तर्क है कि वादग्रसत आराजी बावत रेस्पो0 कम 1 लगायत 3 ने उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के न्यायालय मे घोषणा एंव दुरूस्ती इन्द्राज हेतु राजस्व वाद प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। उपरोक्त परिस्थितियों मे रेस्पो0 कम–1 लगायत 3 द्वारा नियम 14 (4) राज0 भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने के उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण प्रतिप्रेषित कर त्रुटि की है अधीनसथ नयायालय का जेरअपील आदेश सपीकिंग आर्डर की तारीफ

अति. सं. आयुक्त
कोटा

मे नही आता है। अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी 1988 पेज 320 आरआरडी 1989 पेज 34 का न्यायिक उद्धरण भी पेश किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट के उपरोक्त तर्क कानूनी बिन्दुओ पर आधारित है अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटा स्वयं परीक्षण न्यायालय होने से स्वयं को पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करना अपेक्षित था ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण तहसीलदार रामगंजमण्डी को प्रतिप्रेषित कर त्रुटि की जाना प्रकट होता है। प्रकरण मे यह तथ्य भी विवेचनीय है कि वादग्रस्त आराजी के बावत रेस्पो0 कम–1 लगायत 3 द्वारा उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के न्यायालय मे घोषणा एंव दुरूस्ती इन्द्राज हेतु राजस्व वाद प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। ऐसी स्थिति मे नियम 14 (4) राज0 भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय है अथवा नही इस कानूनी बिन्दू पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना जेरअपील निर्णय 7.12.2021 पारित करके विधिक एंव तथ्यात्मक त्रुटि की है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य जेरअपील निर्णय स्पीकिंग आर्डर की तारीफ मे नही आता है। उपरेक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को नयायोचित नही पाते है। फलत् अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित नही होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनसथ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र सं0 6/2013 उनवान जगदीश बनाम कंवर बाई एंवं प्रकरण सं0 87/2016 प्रार्थना पत्र बउनवान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी बनाम श्रीमती कंवर बाई मे पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 7.12.2021 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटा को निर्णय मे विवेचित उपरोक्त तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत स्पीकिंग आदेश/निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

10 निर्णय आज दिनांक 9.5.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा